



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22683

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42956 वर्ष 2025

नीरज

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: गंगा भूषण मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, शिव कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गंगा भूषण मिश्रा, राज्य प्रतिवादी के विद्वान एजीए श्री पुनीत कुमार सिंह, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक नीरज की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 05/2025 में धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 352, 351(3), 103(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला पुलिस स्टेशन लहचुरा, जिला झांसी में अवर न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान दर्ज किया गया था। अवर न्यायालय में आवेदक की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जनजाति अधिनियम), झांसी द्वारा दिनांक 11.08.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी, और आवेदक 24.01.2025 से जेल में बंद है।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे किसी गुप्त उद्देश्य से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में आवेदक सहित 8 नामजद आरोपियों के नाम दर्ज किए गए हैं। बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 103(2), 352, 351(3) और एससी एवं एसटी अधिनियम, 1989 (संशोधित) की धारा 3(2)(वी), 3(2)(वीए), 3(1)(दा), 3(1)(घा) के तहत आरोप लगाया गया है कि एक लंबित भूमि विवाद के कारण, सह-आरोपी मनोज, नीरज (आवेदक) और उनके साथियों, अर्थात्, अखिलेश राय और सुरेश राय की शिकायतकर्ता के पति से दुश्मनी थी। 5 जनवरी 2025 को शाम लगभग 5:00 बजे, शिकायतकर्ता के पति, गोविन्द दास अहिरवार उर्फ राजू (मृतक), अपने खेत से घर लौट रहे थे, तभी उन पर सभी नामजद आरोपियों, जिनमें आवेदक भी शामिल था, ने लाठी, डंडा, रॉड और कुल्हाड़ी से सुनियोजित तरीके से हमला किया, जिसमें पति को गंभीर चोटें आईं और बाद में चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। घटना की प्रत्यक्षदर्शी श्रीमती शीला अहिरवार, पुष्पेंद्र और अंजू थीं। एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया है कि सह-आरोपी अखिलेश राय और सुरेश राय ने शिकायतकर्ता के पति पर जाति आधारित अपशब्द कहे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक को 5.1.2025 को शाम 7:00 बजे पुष्पेंद्र सिंह (सूचनादाता का पड़ोसी) द्वारा मौरानीपुर स्थित केंद्रीय चिकित्सा केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया था, लेकिन वहां कोई चोट नहीं पाई गई और मृतक को आगे के इलाज के लिए झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मृतक को सलाह के अनुसार झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं किया गया और न ही उसका कोई एमएलआर या एक्स-रे किया गया, और मृतक चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध चला गया। यह भी तर्क दिया गया है कि अगली तिथि यानी 06.01.2025 को दोपहर 3:40 बजे जांच की गई, जो केवल 20 मिनट तक चली और समय से पहले की है, क्योंकि जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस को 06.01.2025 को दोपहर 3:38 बजे सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त होने के दो मिनट के भीतर ही जांच की गई थी, जो कि बिल्कुल असंभव है। मृतक के शरीर पर कोई प्रत्यक्ष चोट नहीं देखी गई। हालांकि, बाद में किए गए पोस्टमार्टम में 10 बाहरी चोटें पाई गईं। इनमें से एक चोट बाएं सिर के सामने के हिस्से (फ्रंटोपैरिएटल स्कैल्प) पर 7 सेमी x 5 सेमी की लाल रंग की सूजन थी, और बाकी चोटें शरीर के निचले हिस्से (लोअर लेग) पर थीं। मृत्यु का कारण किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी चोट के कारण सदमा और रक्तस्राव बताया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने ज़ोरदार तर्क दिया है कि यद्यपि मृतक के पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण एकल सिर की चोट बताया गया है, फिर भी यह आश्चर्यजनक है कि सीएचसी, जहाँ घायल (मृतक) को शुरू में चिकित्सा सहायता के लिए लाया गया था, ने मृतक के शरीर पर चोटों (विशेष रूप से सिर की चोट) का जायजा नहीं लिया। झांसी के मेडिकल कॉलेज, जहाँ घायल (मृतक) को ले जाया गया था, ने भी चोटों का जायजा नहीं लिया और चोटों को केवल पोस्टमार्टम के समय ही दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष के विरुद्ध और आवेदक के पक्ष में प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जा सकता है क्योंकि सिर की चोट, जिसे न तो सीएचसी और न ही मेडिकल कॉलेज ने देखा, जिसने दोनों अंगों और टांगों के एक्स-रे कराने की सलाह दी थी, जो कि नहीं कराया गया और मृतक को चिकित्सा सलाह के विरुद्ध मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई, आवेदक को मृतक की मृत्यु का कारण बनने के झूठे आरोप से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, एफआईआर में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और अपराध करने में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित नहीं की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के प्रत्यक्षदर्शी बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं और घटना स्थल पर आवेदक की उपस्थिति भी संदिग्ध है। न्यायालय की राय में, धारा 190, 191 (2), 191 (3) बीएनएस के प्रावधान प्रथम दृष्टया इस मामले पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि तीन आवश्यक तत्व अर्थात् (i) गैरकानूनी सभा का होना आवश्यक है; (ii) अपराध गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किया जा सकता है और (iii) ऐसा अपराध सभा के किसी सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किया गया हो या ऐसा हो जिसके बारे में सभा के सदस्यों को पता हो कि ऐसा अपराध होने की संभावना है। मृतक के शरीर पर लगी चोटों की प्रकृति को देखते हुए (अर्थात् सिर पर एक अकेली चोट और शरीर के गैर-महत्वपूर्ण अंगों पर अन्य चोटें) यह नहीं कहा जा सकता कि गैरकानूनी सभा का उद्देश्य मृतक की मृत्यु करना था। आगे यह निवेदन किया जाता है कि इसी प्रकार सह-आरोपी अमोल उर्फ अम्मू उर्फ रामनारायण और बलादीन अहिरवार को न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 23750/2025 और 19887/2025 में पारित आदेश के अनुसार जमानत दी जा चुकी है। इसलिए, आवेदक भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। अंत में, यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक इस न्यायालय द्वारा जमानत के लिए लगाई गई शर्तों का पालन करने का वचन देता है और मुकदमे में सहयोग करने का भी वचन देता है। अतः, जमानत के लिए प्रार्थना की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके। उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोष सिद्ध होने पर सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपित आवेदक **नीरज** को, अपराध संख्या संख्या के संबंध में, व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों को, प्रत्येक समान राशि के, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20 जनवरी 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।